प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/107693/LCK/LUCKNOW/5218/CFO
दिनांक:08-02-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **AFORDABLE HOUSING** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KHASRA NO- 588 BY 1 WARD - BARGAWA,HINDNAGAR,LUCKNOW** तहसील - **LUCKNOW** प्लाट एरिया **2927.88 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **8845.62** (वर्गमीटर), ब्लाकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
AFORDABLE HOUSING	9	1	26.90 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **AFORDABLE HOUSING** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **AFORDABLE HOUSING** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : प्रभारी अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है तथा इलेक्ट्रिक ऑडिट सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नही होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नही करता है |"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 11-02-2024
स्थान : LUCKNOW

Digitally Signed By
(MANGESH KUMAR)
[CB87BFF6B1829A27BD0DE9314F241D04CAB5CD81]
11-02-2024

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक,	सेवा में,
नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। संख्या : 924/न०अ०प्र०/23 दिनाँक : 12-12-2023	अधिशासी अभियंता, मानचित्र सेल ल०वि०प्रा०, लखनऊ।

: विषय :

भवन मानचित्र हेतु आपत्ति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत पत्र संख्या-LDA/BP/23-24/2648/NOC दिनांक 15.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री गुरमीत सिंह साहनी व अन्य द्वारा खसरा संख्या-588/1, वार्ड-बरगवां हिन्द नगर, लखनऊ, क्षेत्रफल 2871.01 वर्गमीटर पर प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु नजूल विभाग से आपत्ति/अनापत्ति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

अवगत कराना है कि प्रश्नगत भवन मानचित्र हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम- बरगवां, हिन्द नगर, लखनऊ की खसरा संख्या-588/1पर स्थित है। विभागीय अभिलेखानुसार भवन मानचित्र हेतु प्रस्तावित भूमि, नजूल नहीं है। उक्त भवन मानचित्र हेतु प्रस्तावित भूमि के स्वामित्व की पुष्टि नजूल विभाग द्वारा नहीं की जाती है।

उपरोक्तानुसार अवगत होना चाहें।

11-12-2023
(प्रवीण शंकर मिश्रा)
अमीन

11/12/23
(महेन्द्र प्रताप सिंह)
अनुभाग अधिकारी

12.12.23
(अरविन्द त्रिपाठी)
नजूल अधिकारी

प्रतिलिपि- श्री गुरमीत सिंह साहनी व अन्य पता-खसरा संख्या-588/1, वार्ड-बरगवां हिन्द नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

NOC Letter

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक, आर्च कम प्लानिंग असिस्टेन्ट, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, गोमती नगर लखनऊ। संख्या– 680/ए०पी०ए०/24 दिनांक– 11-01-2024	सेवा में, श्री गुरूमीत सिंह साहनी पार्ट ऑफ खसरा सं0–588/1, बरगवां हिन्द नगर लखनऊ

विषय– भू–उपयोग प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया लखनऊ विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र ऑनलाइन आवेदन संख्या–LDA/BP/23-24/2648 के सापेक्ष भू–उपयोग प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2023 एवं संलग्न प्रपत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार प्रश्नगत स्थल पार्ट ऑफ खसरा सं0–588/1, बरगवां हिन्द नगर लखनऊ का प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 के अन्तर्गत भू–उपयोग प्रमाण पत्र चाहा गया है। उक्त के कम में भू–उपयोग सूचना संबंधी शुल्क जमा कराये जाने के संबंध में विभागीय पत्र सं0–639/ए0पी0ए0/23 दि0 23.12.2023 निर्गत किया गया। तदानुसार भू–उपयोग सूचना संबंधी शुल्क चालान सं0–100477150 के माध्यम से वाछित शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करते हुए चालान की प्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2023 के साथ उपलब्ध करायी गयी है।

तदकम में अवगत कराना है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र में दर्शित की–प्लान मे अंकित दूरियों के अनुसार प्रश्नगत स्थल अवध चौराहे से पश्चिम दिशा में दुबग्गा बाईपास रोड पर 260.0मी की दूरी के पश्चात दक्षिण दिशा में 150.0मी0 की दूरी के पश्चात सम्पर्क मार्ग के दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 के अनुसार कथित स्थल का भू–उपयोग आवासीय है।

उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत स्थल का तलपट मानचित्र यदि सक्षम अधिकारी से स्वीकृत है तो सन्दर्भित स्थल का भू–उपयोग उक्त तलपट मानचित्र के अनुरूप अनुमन्य होगा एवं उक्त भू–उपयोग की जानकारी इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/नदी/नाला/नहर /जलाशय/वन/चकरोड/नाली का भू–उपयोग महायोजना मानचित्र में अन्य किसी भू–उपयोग के अन्तर्गत अंकित किया गया हो तब भी उसका भू–उपयोग तालाब/नदी/नाला/नहर/जलाशय /वन/चकरोड/नाली माना जायेगा।

उपरोक्त सूचना इस शर्त के साथ प्रेषित है कि आप द्वारा विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत मानचित्र में (प्रश्नगत स्थल के सापेक्ष) दर्शित की–प्लान/साइट प्लान व नजरी–नक्शे में अंकित दूरियों एवं उपर्युक्त वर्णित दूरियों में किसी प्रकार की असमानता/भिन्नता हुई तो उक्त सूचना निरस्त मानी जायेगी।

भवदीय

Singh

(विकम सिंह)
आर्च कम प्लानिंग असिस्टेन्ट

प्रतिलिपिः– मुख्य नगर नियोजक महोदय को सूचनार्थ।

(विकम सिंह)
आर्च कम प्लानिंग असिस्टेन्ट

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक,	सेवा में,
प्रभारी अधिकारी(अर्बन सीलिंग) लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	अधिशासी अभियन्ता,(मानचित्र सेल) लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
पत्रांक 214/यू०सी०प्र०/ [illegible]/2023 दिनांक 12/12/2023	

विषयः–
मानचित्र हेतु आपत्ति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन पत्र संख्या–LDA/BP/23-24/2648/NOC दिनांक 15.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री गुरमीत सिंह साहनी व अन्य द्वारा खसरा संख्या–588/1, वार्ड–बरगवां, हिन्द नगर, लखनऊ क्षेत्रफल 2873.01 वर्गमीटर भूमि पर प्रस्तावित ले–आउट प्लान (मानिचित्र) हेतु अर्बन सीलिंग विभाग की आपत्ति/अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ले–आउट प्लान हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या–588/1, ग्राम–बरगवां, हिन्द नगर, लखनऊ पर स्थित है। कार्यालय अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या–262/न0भू0सी0/हस्तान्तरण/मान0चि0 दिनांक 23.06.2008 के साथ जनपद–लखनऊ की अर्बन सीलिंग भूमियों का विवरण 03 बुकलेटों के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराया गया था। उक्त तीनों बुकलेटों में ग्राम–बरगवां, हिन्द नगर, लखनऊ की खसरा संख्या–588/1, का उल्लेख नहीं है। अतः प्रश्नगत ले–आउट प्लान स्वीकृत किये जाने में सीलिंग अनुभाग को आपत्ति नहीं है, किन्तु तहसील से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्तानुसार अवगत होना चाहें।

11/12/2023
(राम प्रताप सिंह)
अमीन

11/12/23
(महेन्द्र प्रताप सिंह)
अनुभाग अधिकारी

12.12.23
(अरविन्द त्रिपाठी)
प्रभारी अधिकारी–सीलिंग

प्रतिलिपिः–श्री गुरमीत सिंह साहनी व अन्य पता–खसरा संख्या–588/1, वार्ड–बरगवां, हिन्द नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रेषक,

चकबन्दी अधिकारी–अर्जन,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता–मानचित्र सेल,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्रांकः–365/ए0सी0/प्र0/2024 दिनांक 12.04.2024

विषयः–खसरा संख्या–558/1 स्थित ग्राम–बरगंवा, हिन्दनगर, लखनऊ पर मानचित्र की आपत्ति/अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या–एल0डी0ए0/बी.पी./2023–24/2781/एन0ओ0सी0 दिनांक 31.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्लाट खसरा संख्या–558/1 क्षे0 2873.00 वर्गमी0 स्थित ग्राम–बरगवां, हिन्दनगर, लखनऊ पर मानचित्र स्वीकृति किये जाने के लिए अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान खतौनी फसली वर्ष–1427–1432 में श्रीमती भूपेन्द्र कौर पत्नी श्री सरदार गुरूमीत सिंह व सरदार गुरूमुख सिंह पुत्र सरदार सुरजीत सिंह अंकित है, जिसे आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–128/8–3–17–78एल0ए0/15 दिनांक 22.03.2017 को निर्गत करते हुए अधिनियम 1894 की धारा–48 (नये अर्जन अधिनियम–2013 की धारा–93) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए ग्राम बरगवां की भूमि खसरा संख्या–588/1 रकबा 0.3290 हे0 भूमि भू–स्वामी श्रीमती भूपेन्द्र कौर पत्नी श्री सरदार गुरुमित सिंह एवं सरदार गुरूमुख सिंह पुत्र सरदार सुरजीत सिंह के कब्जे वाली भूमि को अर्जन से प्रत्याहृत/विरत की गयी है। अधिग्रहण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान समय में नही किया गया है, परन्तु महायोजना–2031 के अंतर्गत स्थित है।

04-04-24
(हिम्मत सिंह)
अमीन

4/4/24
(महेन्द्र प्रताप सिंह)
अनुभाग अधिकारी

04-04-24
(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन

प्रतिलिपि–श्री गुरूमीत सिंह साहनी व श्रीमती भूपेन्द्र साहनी, संजेश कुमार वाइस चेयरमैन खसरा संख्या–588/1 ग्राम–बरगवां, हिन्दनगर, जनपद–लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

LDA-NOC-Letter-2024

लखनऊ विकास प्राधिकरण,लखनऊ

प्रेषक :– प्रभारी अधिकारी (ट्रस्ट) लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन गोमतीनगर, लखनऊ। संख्या : 172/NO/DEC/2023 दिनांक : 12.12.2023	सेवा मे :– अधिशासी अभियन्ता (मानचित्र सेल) लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। नत्थी :

–:विषय :–

भवन मानचित्र हेतु आपत्ति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ऑनलाईन प्रणाली के अन्तर्गत प्रस्तुत पत्र संख्या LDA/BP/23-24/2648/NOC दिनांक 5.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से खसरा संख्या 588/1 का भाग, ग्राम–बरगवां, तहसील–सरोजनीनगर, लखनऊ पर प्रस्तावित भवन मानचित्र हेतु इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की आपत्ति/अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन मानचित्र इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि पर न होने के कारण प्रस्तावित मानचित्र को स्वीकृत किये जाने में आपत्ति नही है। तदानुसार वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करे।

11/12/2023
(दीपक कुमार)
अमीन

12/12/23
(महेन्द्र प्रताप सिंह)
अनुभाग अधिकारी

12/12/23
(अतुल कृष्ण सिंह)
उपसचिव

12.12.23
(अरविन्द त्रिपाठी)
प्रभारी अधिकारी–ट्रस्ट

<u>प्रतिलिपिः</u>– श्री गुरमीत सिंह साहनी व अन्य, पता खसरा संख्या 588/1 का भाग, ग्राम–बरगवां, तहसील–सरोजनीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (मु0)
जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ

प्रेषक, अधिशासी अभियन्ता (मु0) जलकल विभाग, ऐशबाग, लखनऊ। पत्रांक–1271 /E.E.HQ/24-25 दिनाँक– 25.10.24	सेवा में, अधिशासी अभियन्ता, (मानचित्र सेल) लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड गोमतीनगर लखनऊ।

विषय : अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र LDA/BP/22-23/2648/NOC Dated 15.10.2023 प्रेषित प्रस्तावित मानचित्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो Mr. Gurmeet Singh Sahni, Smt. Bhupendra Sahni, Khasra No- 588/1 , Ward-Bargawan, Hindnagar, Lucknow.का है। संलग्न मानचित्र के अनुसार विकास शुल्क की गणना की गयी जो रू0 4,78,121.00 मात्र की आती है। उक्त धनराशि उपभोक्ता द्वारा जलकल विभाग अधिशासी अभियन्ता (जोन–8) लखनऊ में कैश रू0 4,78,121.00 मात्र दि0 19.10.2024 को बुक संख्या 43057 एवं रसीद संख्या 043 द्वारा जमा कर दी गई Khasra No- 588/1 , Ward-Bargawan, Hindnagar, Lucknow.पर''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' जारी किया जाता है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता (मु0)
जलकल विभाग
नगर निगम, लखनऊ।

पृ0सं0– /E.E.HQ/24-25 दि0–

प्रतिलिपि- Mr. Gurmeet Singh Sahni, Smt. Bhupendra Sahni, Khasra No- 588/1 , Ward-Bargawan, Hindnagar, Lucknow

अधिशासी अभियन्ता (मु0)
जलकल विभाग
नगर निगम, लखनऊ

लखनऊ नगर निगम

प्रेषक, मुख्य वास्तुविद् नगर निगम, लखनऊ। संख्या 107 /मु0वा0/2024 दिनांक 5-11-24	सेवा में, श्री गुरमीत सिंह साहनी एवं श्रीमती भूपेन्द्र साहनी खसरा नं0 की भूमि का हिस्सा–588/1, वार्ड बरगवां, हिंदनगर, लखनऊ।

विषयः प्रस्तुत किफायती आवास भवन मानचित्र श्री गुरमीत सिंह साहनी एवं श्रीमती भूपेन्द्र साहनी खसरा सं0–588/1(भाग), वार्ड बरगवां, हिंदनगर, लखनऊ द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक सं0–एल0डी0ए0/बी0पी0/23–24/2648/एन0ओ0सी0, दिनांक–15 अक्टूबर, 2023 पर अनापत्ति के सम्बन्ध में मांग पत्र।

महोदय,

प्रस्तुत किफायती आवास भवन मानचित्र श्री गुरमीत सिंह साहनी एवं श्रीमती भूपेन्द्र साहनी खसरा सं0–588/1(भाग), वार्ड बरगवां, हिंदनगर, लखनऊ द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक सं0–एल0डी0ए0/बी0पी0/23–24/2648/एन0ओ0सी0, दिनांक–15 अक्टूबर, 2023 प्रेषित किया गया है। कृपया प्रस्तावित मानचित्र पर आपके भूखण्ड का कुल आच्छादित क्षेत्रफल–10,673.00 वर्ग मी0 पर शुल्क प्रभावी है।

नगर निगम शुल्क विवरण	दर प्रति वर्ग मी0 में	आ0 क्षे0 वर्ग मीटर में	धनराशि
1. सुदृढीकरण शुल्क	192.00	10,673.00	20,49,216/–
2. अम्बार शुल्क	40.00	10,673.00	शासनादेशानुसार छूट
3. निरीक्षण शुल्क	20.00	10,673.00	2,13,460/–
		योगः	22,62,676/–

अतः उपरोक्त निर्धारित शुल्क सुदृढीकरण और निरीक्षण शुल्क तथा अम्बार शुल्क अलग–अलग मदों में नगर निगम कोष में दिनांक–31.12.2024 तक जमा कराने का कष्ट करें। उक्त धनराशि कैश/डी0डी0, **"नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के नाम"** से देय होगा। आनलाइन शुल्क खाता शीर्षक अवस्थापना विकास निधि नगर निगम, लखनऊ, खाता सं0–50100246907170 सुदृढीकरण और निरीक्षण शुल्क कुल धनराशि रू0–22,62,676/–(रू0 बाईस लाख बासठ हजार छः सौ छिहत्तर मात्र) तथा अम्बार शुल्क में शासनादेश के क्रम में छूट, आईएफएससी कोड–HDFC0000078, बैंक तथा ब्रांच एचडीएफसी बैंक, महात्मागांधी मार्ग में शुल्क जमा होने के पश्चात् आपके पक्ष में इस विभाग से अनापत्ति जारी की जा सके।

मुख्य वास्तुविद्
नगर निगम लखनऊ।

प्रतिलिपि–1– अधिशासी अभियन्ता मा0 सेल लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वास्तुविद्
नगर निगम लखनऊ।

लखनऊ नगर निगम

प्रेषक, मुख्य वास्तुविद् नगर निगम, लखनऊ। संख्या......107..../मु0वा0/2024 दिनांक....5-11-24..................	सेवा में, श्री गुरमीत सिंह साहनी एवं श्रीमती भूपेन्द्र साहनी खसरा नं0 की भूमि का हिस्सा–588/1, वार्ड बरगवां, हिंदनगर, लखनऊ।

विषयः प्रस्तुत किफायती आवास भवन मानचित्र श्री गुरमीत सिंह साहनी एवं श्रीमती भूपेन्द्र साहनी खसरा सं0–588/1(भाग), वार्ड बरगवां, हिंदनगर, लखनऊ द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक सं0–एल0डी0ए0/बी0पी0/23–24/2648/एन0ओ0सी0, दिनांक–15 अक्टूबर, 2023 पर अनापत्ति के सम्बन्ध में मांग पत्र।

महोदय,

प्रस्तुत किफायती आवास भवन मानचित्र श्री गुरमीत सिंह साहनी एवं श्रीमती भूपेन्द्र साहनी खसरा सं0–588/1(भाग), वार्ड बरगवां, हिंदनगर, लखनऊ द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक सं0–एल0डी0ए0/बी0पी0/23–24/2648/एन0ओ0सी0, दिनांक–15 अक्टूबर, 2023 प्रेषित किया गया है। कृपया प्रस्तावित मानचित्र पर आपके भूखण्ड का कुल आच्छादित क्षेत्रफल–10,673.00 वर्ग मी0 पर शुल्क प्रभावी है।

नगर निगम शुल्क विवरण	दर प्रति वर्ग मी0 में	आ0 क्षे0 वर्ग मीटर में	धनराशि
1. सुदृढीकरण शुल्क	192.00	10,673.00	20,49,216/–
2. अम्बार शुल्क	40.00	10,673.00	शासनादेशानुसार छूट
3. निरीक्षण शुल्क	20.00	10,673.00	2,13,460/–
		योगः	22,62,676/–

अतः उपरोक्त निर्धारित शुल्क सुदृढीकरण और निरीक्षण शुल्क तथा अम्बार शुल्क अलग–अलग मदों में नगर निगम कोष में दिनांक–31.12.2024 तक जमा कराने का कष्ट करें। उक्त धनराशि कैश/डी0डी0, **"नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के नाम"** से देय होगा। आनलाइन शुल्क खाता शीर्षक अवस्थापना विकास निधि नगर निगम, लखनऊ, खाता सं0–50100246907170 सुदृढीकरण और निरीक्षण शुल्क कुल धनराशि रू0–22,62,676/–(रू0 बाईस लाख बासठ हजार छः सौ छिहत्तर मात्र) तथा अम्बार शुल्क में शासनादेश के क्रम में छूट, आईएफएससी कोड–HDFC0000078, बैंक तथा ब्रांच एचडीएफसी बैंक, महात्मागांधी मार्ग में शुल्क जमा होने के पश्चात् आपके पक्ष में इस विभाग से अनापत्ति जारी की जा सके।

मुख्य वास्तुविद्
नगर निगम लखनऊ।

प्रतिलिपि–1– अधिशासी अभियन्ता मा0 सेल लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वास्तुविद्
नगर निगम लखनऊ।

महोदय,

संलग्न पत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ की पत्र सं0 एल0डी0ए0/बी0पी0/23-24/2648/एन0ओ0सी0 दिनांक 15.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहे जिसमे भूखण्ड खसरा सं0 588/1 स्थित ग्राम बरगवां, तह0 सरोजनी नगर, लखनऊ के क्षे0 2884.13 वर्ग मीटर पर रो-हाऊसिंग निर्माण मानचित्र की स्वीकृति हेतु श्री गुरमीत सिंह साहनी व श्रीमती भुपिन्दर कौर साहनी द्वारा दिये गये आवेदन के सापेक्ष मे आपत्ति/अनापत्ति हेतु आख्या चाही गयी है जिसमे की गयी स्थलीय एवं अभिलेखिये जांच आख्या का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि उक्त भूमि खसरा सं0 588/1 ग्राम बरगवां, परगना बिजनौर, तह0 सरोजनी नगर, लखनऊ के स्वामित्व के सापेक्ष मे संलग्न दानपत्र के अनुसार सरदार गुरमुख सिंह द्वारा गुरमीत सिंह को क्षे0 2173.42 वर्ग मीटर उक्त भूमि खसरा सं0 588/1 मे दान मे दिया गया है व रकबा 8 बिस्वा सोलह बिस्वांसी सात कचवांसी कमला देवी अग्रवाल द्वारा भूपिन्दर कौर साहनी को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख प्राप्त हुआ जिसमे से क्षे0 362.453 वर्ग मीटर भूमि को श्रीमती भूपिन्दर कौर साहनी द्वारा सनमीत सिंह को जरिये दान विलेख प्रदान कर दी गयी थीं। जिसके सापेक्ष मे उक्त विलेखों की प्रति संलग्न है इसके अतिरिक्त अधिसूचना सं0 128/8-3-17-78 एल0ए0-15 लखनऊ 22 मार्च 2017 उ0प्र0 सरकार (संलग्नक) के अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि को अर्जन से मुक्त रखा गया है तथा फसली वर्ष 1427-1432 के खसरा सं0 588/1 क्षे0 0.329 हे0 बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है जिसके भू-भाग पर निर्माण कराये जाने हेतु शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त भूमि ग्राम समाज, शासकीय भूमि या किसी अन्य मे समाहित होना नहीं अवगत कराया गया।

अतएव ग्राम बरगवां की खसरा सं0 588/1 राजस्व अभिलेखों मे दर्ज बतौर संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है एवं लखनऊ नगर निगम व लखनऊ विकास प्राधिकरण तह0 सरोजनी नगर, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सीमा के अन्तर्गत आती है अतः अनापत्ति के सम्बन्ध मे आख्या उपरोक्त विभागों से प्राप्त किया जाना भी समाचीन है यदि आवेदक द्वारा बेसमेन्ट का निर्माण कार्य कराया जाता है तो खनन विभाग से खनन अनुज्ञा नियमानुसार समाचीन है।

संलग्न शपथपत्र व साक्ष्यों के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः अनापत्ति प्रदान किये जाने हेतु आख्या सादर प्रेषित।

महोदय, लेखपाल आख्या अग्रसारित

27/05/2024

रा0नि0 बिजनौर
तह0 सरोजनीनगर
लखनऊ

महोदय, रा0 नि0 आख्या अग्रसारित

ना0 तह0
बिजनौर

तहसीलदार
सरोजनीनगर, लखनऊ